

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

नंदकिशोर पिता बजरंगलाल ब्राह्मण (शर्मा) नि. कुचलवाडा कलां

बनाम

नंदा पिता मेवा बैरवा नि. कुचलवाडा कलां वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 629/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
21.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कुचलवाडा कलां प. ह. ऊंचा में स्थित आ. न. 1445/2 रकबा 0.1619, ग्राम हनुमाननगर प. ह. ऊंचा आ.न. 481/2 रकबा 0.2671 हेक्टेयर, ग्राम हनुमाननगर प. ह. ऊंचा आ.न. 479 रकबा 0.4452 हेक्टेयर, तहसील जहाजपुर में स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्इद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है कुचलवाडा कलां प. ह. ऊंचा में स्थित आ. न. 1445/2 रकबा 0.1619, ग्राम हनुमाननगर प. ह. ऊंचा आ.न. 481/2 रकबा 0.2671 हेक्टेयर, ग्राम हनुमाननगर प. ह. ऊंचा आ.न. 479 रकबा 0.4452 हेक्टेयर, तहसील जहाजपुर में स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अगिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

संख्या/रीडर/2023/629/2023

दिनांक :- 21.06.2023

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 629/2023 अनवान नंदकिशोर पिता बजरंगलाल ब्राह्मण (शर्मा) नि. कुचलवाड़ा कलां बनाम नंदा पिता मेवा बैरवा नि. कुचलवाड़ा कलां, दुर्गोलाल पिता रामचंद्र खाती नि. कुचलवाड़ा कलां, श्यामसिंह पिता कजोड़ सिंह राजपूत, हारीसिंह पिता सोनाथ सिंह नि. कुचलवाड़ा कलां, दुर्गोलाल पिता ललितनारायण शर्मा नि. कुचलवाड़ा कलां, रामपाल पिता घीसा लाल खटीक नि. हनुमाननगर, रामप्रसाद पिता रामदयाल शर्मा नि. कुचलवाड़ा कलां, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय हनुमाननगर, महेंद्र पिता राजेन्द्र शर्मा नि. कुचलवाड़ा कलां, प्रहलाद पिता कल्याण शर्मा नि. कुचलवाड़ा कलां, कैलाशचंद्र पिता ललितनारायण शर्मा नि. कुचलवाड़ा कलां, तहसीलदार जहाजपुर वंगौरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम कुचलवाड़ा कलां प. ह. ऊंचा में स्थित आ. न. 1445/2 रकबा 0.1619, ग्राम हनुमाननगर प. ह. ऊंचा आ.न. 481/2 रकबा 0.2671 हेक्टेयर, ग्राम हनुमाननगर प. ह. ऊंचा आ.न. 479 रकबा 0.4452 हेक्टेयर, तहसील जहाजपुर में स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

De
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)